

**कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम**

क्रमांक:- 1029

दिनांक:- 25/4/2024


**आदेश**

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 732 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा माह अप्रैल, 2024 में दिनांक 27.04.2024 व 28.04.2024 के राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के सांगानेर/चाकसू मुख्यालय की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 164 दं.प्र.सं. के बयान लेने व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई के लिए जयपुर महानगर प्रथम के सांगानेर मुख्यालय स्थित न्यायालय, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-17, सांगानेर के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश द्वारा जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाने के कारण उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलंघित करते हुए माह अप्रैल, 2024 में दिनांक 27.04.2024 एवं 28.04.2024 को राजकीय अवकाशों के दिन सांगानेर/चाकसू मुख्यालय पर आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०.	अवकाश की दिनांक	नाम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) का नाम व मोबाईल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)

सांगानेर/चाकसू मुख्यालय हेतु			
1.	27.04.2024	एम.एम., क्रम-17, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम	कामाक्षी मीणा, आर.जे.एस. मो० नं० 97806-57800
2.	28.04.2024	एम.एम., क्रम-18, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम	सौम्य कुमार सिंह, आर.जे.एस. मो० नं० 87099-64825


  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक:- 1030 to 1037

दिनांक:- 25/4/2024

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
2. सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
3. दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
4. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-17(सांगानेर) एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-17/18 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम।
5. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
6. आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
8. वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।

  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जयपुर महानगर प्रथम।